भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3253
दिनांक 12 मार्च, 2026

उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन का विस्तार

†3253. श्रीमती शांभवीः
श्री राजेश वर्माः
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः
डॉ. लता वानखेड़ेः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले नए एलपीजी कनेक्शनों की संख्या कितनी है और पात्र परिवारों को पच्चीस लाख अतिरिक्त कनेक्शन वितरित करने की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) लाभार्थियों की पहचान करने और कम आय वाले तथा वंचित परिवारों को शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) नए लाभार्थियों के बीच एलपीजी कनेक्शनों का समय पर प्रदान करना, लगाया जाना और निरंतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सुरक्षित उपयोग और रिफिल को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान और सहायता तंत्र प्रदान किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यह विस्तार घर के भीतर प्रदूषण को कम करने, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार और ऊर्जा पहुंच में समानता बढ़ाने के व्यापक सरकारी उद्देश्यों के साथ किस प्रकार संरेखित है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) मई, 2016 में शुरू की गई थी। पीएमयूवाई के तहत 8 करोड़ कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य सितंबर 2019 में प्राप्त कर लिया गया था। शेष गरीब परिवारों को शामिल करने हेतु उज्ज्वला 2.0 को अगस्त 2021 में 1 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था, जो जनवरी 2022 में प्राप्त कर लिया गया था। इसके बाद, सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के तहत 60 लाख और एलपीजी कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया और दिसंबर 2022 के दौरान 1.60 करोड़ उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन का लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया गया था। इसके अलावा, सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए पीएमयूवाई योजना के तहत अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन जारी करने की मंजूरी प्रदान की जिसे जुलाई 2024 के दौरान पूरा किया

गया। सरकार ने हाल ही में लंबित आवेदनों को निपटाने और देश में एलपीजी पहुंच में संतृप्ति प्राप्त करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पीएमयूवाई के तहत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन जारी करने की मंजूरी दी है।

(ख): गरीब परिवार की वयस्क महिला जिसके परिवार में पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं है निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पात्रता स्थापित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ केवाईसी आवेदन प्रपत्र और वंचना घोषणा प्रस्तुत करके योजना के तहत आवेदन कर सकती है। दिनांक 01.03.2026 की स्थिति के अनुसार, देश भर में लगभग 10.56 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन थे।

(ग): समय पर एलपीजी रिफिल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पीएमयूवाई लाभार्थियों सहित एलपीजी उपभोक्ता इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस), शॉर्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस), व्हाट्सएप, वितरक के फोन पर सीधे कॉल करना, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ओएमसी मोबाइल एप्लिकेशन और ओएमसी वेब-पोर्टल सहित विभिन्न तरीकों से रिफिल बुक कर सकते हैं। ये विभिन्न विकल्प एलपीजी रिफिल की निर्बाध और परेशानी मुक्त बुकिंग के लिए बेहतर उपयोगकर्ता पहुंच प्रदान करते हैं।

दिनांक 01.03.2026 की स्थिति के अनुसार, देश भर में कुल 25,605 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कार्यरत हैं, जिनमें से 17,677 डिस्ट्रीब्यूटरशिप ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये पूरे देश में स्थित तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के 214 एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों के माध्यम से सेवा प्रदान करते हैं। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में एलपीजी की पहुंच में सुधार लाने के लिए, ओएमसीज ने 01.04.2016 से 28.02.2026 के दौरान पूरे देश में 8037 डिस्ट्रीब्यूटरशिप कमीशन किए हैं, जिनमें से 7444 (अर्थात 93%) ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर रहे हैं।

(घ): पीएमयूवाई लाभार्थियों के बीच निरंतर उपयोग को प्रोत्साहित करने और कम रिफिल खपत संबंधित मुद्दों का समाधान करने हेतु अन्य बातों के साथ-साथ, पीएमयूवाई के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान आयोजित करने, कनेक्शनों को नामांकित करने और वितरित करने के लिए मेलों/शिविरों का आयोजन करने, आउट ऑफ होम (ओओएच) होर्डिंग, रेडियो जिंगल के माध्यम से प्रचार, एलपीजी के अन्य पारंपरिक ईंधनों पर उपयोग के लाभों और एलपीजी पंचायतों के माध्यम से एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने वाले सूचना और शिक्षा एवं संचार (आईईसी) वैन, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नामांकन/जागरूकता शिविर, उपभोक्ताओं और उनके परिवारों को आधार नामांकन और पीएमयूवाई कनेक्शन प्राप्त करने के लिए बैंक खाते खोलने की सुविधा प्रदान करने जैसे विभिन्न कदम उठाए गए हैं। सरकार ने पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा एलपीजी की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए अग्रिम नकद खर्च को कम करने के लिए 14.2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक स्वैप विकल्प, 5 किलोग्राम डबल बोटल कनेक्शन का विकल्प, लाभार्थियों को निरंतर आधार पर एलपीजी का उपयोग करने के लिए राजी करने के लिए प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत का आयोजन करना, जन जागरूकता शिविर का आयोजन आदि जैसे कई कदम उठाए हैं ।

इसके अलावा, घरेलू एलपीजी ग्राहकों के घर तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से मार्च, 2024 से दिसंबर, 2024 के दौरान "खुशियाँ अब तीन गुना" विषय के तहत "बेसिक सेफ्टी चेक" अभियान का आयोजन किया गया था। अभियान को एलपीजी के सुरक्षित उपयोग पर उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया

गया था, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता पहल, ग्राहक परिसर में ऑन-साइट सुरक्षा जांच और सुरक्षा होज का प्रतिस्थापन शामिल था। अभियान ने महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की, जिसमें उपभोक्ता को बिना किसी लागत के ग्राहक परिसर में ही 12.12 करोड़ से अधिक मुफ्त बेसिक सेफ्टी चेक किए गए और 4.65 करोड़ से अधिक एलपीजी होज को रियायती दरों पर बदला गया। इसके अलावा, ऑडियो-विजुअल (एवी) सामग्री का उपयोग एलपीजी पंचायत और स्कूलों में एलपीजी सुरक्षा क्लीनिक जैसी विभिन्न फील्ड सेफ्टी पहलों के साथ ही आम जनता तक पहुंच बनाने के दौरान किया गया। अधिकतम पहुंच और प्रभाव के लिए इन एवीज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी साझा किया गया।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को और अधिक किफायती बनाने और पीएमयूवाई उपभोक्ताओं द्वारा एलपीजी के निरंतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 हेतु सरकार पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 14.2 किलो के सिलेंडर की 9 रिफिल तक (और 5 किलो के कनेक्शन के लिए आनुपातिक रूप से यथा-अनुपाती) 300/- रुपये प्रति 14.2 किलो सिलेंडर की निर्धारित राजसहायता प्रदान कर रही है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी की पहुंच और सामर्थ्य में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप, पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति कनेक्शन खपत (प्रति वर्ष लिए गए 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडरों की संख्या के संदर्भ में) वित्त वर्ष 2021-22 में 3.68 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 4.83 हो गई है (अप्रैल-जनवरी 26 के दौरान खपत के आधार पर आनुपातिक)।

(ड.): पीएमयूवाई योजना का ग्रामीण परिवारों के जीवन पर विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में महिलाओं और परिवारों पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिसमें लकड़ी, गोबर और फसल अवशेष जैसे ठोस ईंधन जलाने से पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों में बदलाव भी शामिल है। स्वच्छ ईंधन के उपयोग से घर के अंदर वायु प्रदूषण कम होता है, जिससे श्वसन स्वास्थ्य में सुधार होता है, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों में, जो पारंपरिक रूप से घरेलू धुएं के संपर्क में अधिक आते हैं।

द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) द्वारा किए गए एक अध्ययन में प्रकाश डाला गया कि वर्ष 2019 में प्रमुख भारतीय राज्यों में अनुमानित वार्षिक औसत परिवेशी वायु गुणवत्ता (पीएम2.5) का स्तर सामान्य परिदृश्य (पीएमयूवाई के बिना) के तहत 5-16 $\mu g/m^3$ की सीमा में था, जबकि पीएमयूवाई के कार्यान्वयन के साथ, स्तर 4-8 $\mu g/m^2$ की सीमा में होने का अनुमान लगाया गया था। यह दर्शाता है कि पीएमयूवाई का घरेलू और परिवेशी वायु प्रदूषण दोनों पर ही सकारात्मक प्रभाव है।

इसके अलावा, छह राज्यों में आईआईटी कानपुर द्वारा किए गए पीएमयूवाई के मूल्यांकन में पाया गया कि एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग करने वाले घरों में खाना पकाने के समय के दौरान घर के अंदर की वायु गुणवत्ता कम एलपीजी और पारंपरिक चूल्हे का उपयोग करने वाले घरों की तुलना में लगभग दोगुनी अच्छी थी। इस मूल्यांकन के हिस्से के रूप में किए गए पीएमयूवाई सर्वेक्षण का विश्लेषण विशेष रूप से प्राथमिक खाना पकाने वाले व्यक्तियों के लिए पीएमयूवाई के तहत एलपीजी के उपयोग के स्वास्थ्य संबंधित लाभों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

*****